

आ.न. 226/11 रकम 108 रु. की  
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की  
की मौजूदगी में की जावे।  
प्रार्थी से कमीशनर  
वसूल किये

# FORM NO. III


2022/221

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम  
बडीसादडी बि. बिलोपण्ड  
बनाम इशारेब डुमरा  
किस्म मुकदमा पत्थरगढी नं. 152/2022 सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.6.22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम..... <u>बनोडाउरी</u> ..... की आ.न..... <u>162 रकम 0.5/00 रु</u> ..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	<p>क/147</p>

  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

